

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा।

(मनरेगा)

विज्ञापन संख्या-01 / 2023-24

“महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अन्तर्गत सृजित पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना”

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी” अन्तर्गत क्षेत्रीय कर्मियों के संविदा आधारित सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007 से निर्गत नियुक्ति, सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली-2007 निर्गत है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 तथा सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक (N) 848 दिनांक 21.03.2017 से निर्गत (संशोधित नियुक्ति, सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली-2017) के आलोक में सिमडेगा जिले में मनरेगा के तहत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निम्न विवरणी अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदों की विवरणी

रिक्ति

| क्र० | पद का नाम | पदों की संख्या | | | | | | कुल रिक्ति | दिव्यांग हेतु आरक्षित पद |
|------|---------------------------------------|----------------|-------------|----------|----------------|---------|-----------|------------|--------------------------|
| | | अना० | अनु०ज० जाति | अनु०जाति | अत्यंत पि०वर्ग | पि०वर्ग | आ०क० वर्ग | | |
| 1 | प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 2 | तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| 3 | लेखा सहायक | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| 4 | ग्राम रोजगार सेवक | 04 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 |

(आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के पत्रांक 1790 /स्था० राँची, दिनांक-08.10.2021 तथा 2489 /स्था०, दिनांक 17.10.2023 से उपरोक्त कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है)

नोट :-

1. आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है ।
2. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

शैक्षणिक योग्यता :-

| पद | शैक्षणिक योग्यता |
|---------------------------------------|--|
| प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी | <p>1. अनिवार्य योग्यता:- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता :- क. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0/बी0सी0ए/बी0एस0सी0कम्प्युटर/बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्युटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर को बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 कमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। ख. एम0सी0ए/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्युटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स के पश्चात पी0जी0डी0सी0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।</p> |
| तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | <p>1. अनिवार्य योग्यता :- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। नोट:-विभागीय पत्रांक 1187 दिनांक 01.03.2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी यथा बी0टेक0/बी0ई0 उत्तीर्ण भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता :- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी.टेक/बी.ई., बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर/बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (ख) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर को बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 कमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। (ग) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p> |
| लेखा सहायक | <p>1. अनिवार्य योग्यता :- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण, जिन्हे 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में</p> |

| पद | शैक्षणिक योग्यता |
|-------------------|--|
| | <p>अंकित किया जायेगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता :-</p> <p>(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को सामान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा, जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।</p> |
| ग्राम रोजगार सेवक | <p>1. अनिवार्य योग्यता :-</p> <p>सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इण्टरमिडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आई.टी.आई., मैट्रिक के पश्चात आई.टी.आई. की स्थिति में आई.टी.आई. के प्राप्तांक प्रतिशत को इण्टरमिडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता :-</p> <p>(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी.सी.ए. तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p> <p>3. अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इण्टरमिडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।</p> |

1. परिलब्धि:-विभागीय संकल्प ज्ञापांक (N)1028/ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04.08.2022 के आलोक में विभिन्न पदों की परिलब्धियाँ निम्नवत होगी:-

| क्र0 | पदनाम | Monthly Honorarium (In Rs.) for Less than 5 years Experience | Monthly Honorarium (In Rs.) for 5 years of more Experience |
|------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी | 23140.00 | 23700.00 |
| 2 | तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | 19000.00 | 19500.00 |
| 3 | लेखा सहायक | 14300.00 | 14800.00 |
| 4 | ग्राम रोजगार सेवक | 11000.00 | 12000.00 |

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक संकल्प ज्ञापांक 4550 दिनांक 31.05.2016 के संदर्भित सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2435 दिनांक 14.08.2018 एवं अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक (N) 439(अनु0) दिनांक 21.02.2018 के आलोक में नियुक्ति हेतु समूह-'ख', 'ग' एवं 'घ' में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा समाप्त की गयी है, जो इस नियुक्ति में लागू होगी।

3. आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी सिमडेगा जिले के वेबसाइट www.simdega.nic.in पर तथा उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, सिमडेगा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
4. आरक्षण:- ऑनलाईन आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (क) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निवास प्रमाण पत्र (आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 एवं पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे)।
- (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/खेल कूद के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 एवं पत्रांक 156 दिनांक 06.01.2017 द्वारा तत्समय प्रवृत्त निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ग) निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
5. आयु सीमा-दिनांक 01.01.2023 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम (विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा, भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी) निम्नवत है :-

(क)

| क्र० | वर्ग | वर्ष | दिव्यांग जनों के लिए |
|------|---|---------|----------------------|
| 1 | अनारक्षित वर्ग (पुरुष) | 35 वर्ष | 45 वर्ष |
| 2 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आ०क०वर्ग) (पुरुष) | 35 वर्ष | 45 वर्ष |
| 3 | पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष) | 37 वर्ष | 47 वर्ष |
| 4 | महिला- (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)) | 38 वर्ष | 48 वर्ष |
| 5 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) | 40 वर्ष | 50 वर्ष |

6. स्थानीय नीति का अनुपालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा इस संबंध में निर्गत प्रपत्र के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
7. नियुक्ति के नियम एवं शर्त:-
- उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
 - उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकतानुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जा सकती है। जिला चयन समिति सिमडेगा द्वारा मेधा सूची को अनुमोदित किया जाएगा।
 - तैयार प्रारंभिक मेधा सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर आवेदक त्रुटि निराकरण हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, सिमडेगा में उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदनाम से आवेदन दे सकते हैं। तत्पश्चात अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके उपरांत किसी आवेदक का त्रुटि हेतु आवेदन/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- IV. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व एक पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिए गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
 - V. अभ्यर्थियों की सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो ही मान्य होगी।
 - VI. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। सभी आवेदक उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
 - VII. उपर्युक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन सिमडेगा जिला के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
 - VIII. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
 - IX. उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र अर्पित करना अनिवार्य होगा कि (1) झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। (2) संलग्न किए सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं से संबंधित प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत है। उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
8. सामान्य निर्देश :-
- I. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्षों की रहेगी।
 - II. अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DEB से संबंधित कागजात/ऑनलाईन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - III. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Grade अंकित हो तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - IV. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
 - V. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगी।

9. आवेदन कैसे जमा करें :-

(क) आवेदक के द्वारा दिनांक 05.11.2023 के अपराह्न 05.00 बजे तक वेबसाईट <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

1. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

2. स्वहस्ताक्षरित फोटो।

3. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र।

4. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र।

5. आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

7. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।

8. शपथ प्रमाण पत्र।


(ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

(ग) अहर्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी का पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।

(घ) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/झाईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।

(ङ) निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(च) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।


25.10.23

उपायुक्त

-सह-


जिला कार्यक्रम समन्वयक
सिमडेगा।

ज्ञापांक 1112/Gij जि०ग्रा०, दिनांक 25/10/2023

प्रतिलिपि:-जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में उपरोक्त सूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को जिला वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:-मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।


25.10.23

उपायुक्त

-सह-

जिला कार्यक्रम समन्वयक
सिमडेगा।